

निदेशालय कोषागार, पेंशन एवं हकदारी उत्तराखण्ड



उत्तराखण्ड शासन

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005
के अधीन प्राधिकारी द्वारा प्रकाशित सूचना

मैनुअल-7

23 लक्ष्मी रोड, डालनवाला, देहरादून

किसी व्यवस्था की विशिष्टियां जो उसकी नीति की संरचना या उसके कार्यान्वयन के सम्बन्ध में जनता के सदस्यों से परामर्श के लिए या उनके द्वारा अभ्यावेदन के लिए विद्यमान हैं -

निदेशालय के नियंत्रणाधीन प्रभागों में से किसी भी प्रभाग के दायित्व एवं क्रियाकलाप सीधे जनता से जुड़े नहीं हैं अपितु सरकार की वित्तीय नीति एवं कार्यक्रमों के अधीन राज्य में सुव्यवस्थित वित्तीय प्रबन्धन एवं नियंत्रण को बनाये रखने का दायित्व हैं। राज्य का बजट, समय-समय पर निर्धारित एवं विनिश्चित वित्तीय नीति राज्य की जनता द्वारा चुने गये जनप्रतिनिधियों से गठित राज्य सरकार के सदस्यों द्वारा ही निर्धारित होती हैं जिसमें उनकी पूर्ण सहभागिता रहती हैं। राज्य के पेंशनरों, विभिन्न संगठनों एवं संस्थाओं के भुगतान संबंधी प्रकरण में गतिरोध की स्थिति में ऐसे पेंशनर संगठनों, सम्बन्धित अन्य संगठनों एवं व्यक्तियों की शिकायतों, परामर्श एवं विचारों का सम्मान करते हुए विभाग के उच्च अधिकारियों द्वारा इस पर नियम संगत कार्यवाही समय पर पूर्ण करते हुए गतिरोध को दूर किया जाता है, जिससे निदेशालय स्तर व उसके अधीन समस्त प्रभागों में शासकीय कार्य सम्पादन में अपेक्षित गति दी जा सके। राज्य के राजकीय भुगतानों हेतु संचालित IFMS पोर्टल पर आने वाली समस्याओं के त्वरित निराकरण हेतु हैल्पलाइन डैस्क की व्यवस्था है जिससे ईमेल, टोलफ्री नम्बर, अथवा पोर्टल पर उपलब्ध सपोर्ट की सुविधा के माध्यम से सम्पर्क किया जा सकता है।

निदेशालय के नियंत्रणाधीन कोषागारों/उपकोषागारों में पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के जीवित प्रमाण पत्र को जमा कर डेटाबेस में अद्यतन किये जाने के लिए कोषागार में स्वयं उपस्थित होने के अतिरिक्त कई वैकल्पिक विधियां, यथा मोबाइल एप्प, सीएससी केन्द्रों, व पोस्टमैन के माध्यम से उपलब्ध हो गयी हैं जिससे पेंशनरों को जीवित प्रमाण पत्र जमा किये जाने में सुविधा हो गयी है।